

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:-2659/1जी-FP/UK/ROAD/10762/2015 देहरादून: दिनांक: 08 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।


विषय:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD/10762/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-2638 दिनांक 05-03-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बी0एम0बी0 मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD/10762/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग में 2.38 आरक्षित वन भूमि, 0.35 है0 राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 2.73 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, वन्य जीव वन प्रभाग तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:
तिथि : 8/03/2016
स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक— 2638 / FP/UK/ROAD/10762/2015 देहरादून:दिनांक: 05 मार्च, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत (बूगीधार मेहलचौरी बछुवाबाण) मोटर मार्ग के कि0मी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.73 हे0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन फाईल संख्या— FP/UK/ROAD/10762/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या— Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

२२